

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षा स्था.3/694/2019/  
प्रति, 16448

भोपाल, दिनांक 22/6/19


1. समस्त संभागीय उपायुक्त,  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,  
मध्यप्रदेश ।
2. समस्त सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश ।
3. समस्त जिला संयोजक,  
आदिम जाति कल्याण विभाग,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:-नवीन शिक्षक संघर्ग के स्थानांतरण संबंधी निर्देश ।

आदिवासी विकास विभाग द्वारा नवीन शिक्षक संघर्ग के स्थानांतरण आवेदन MPTAAS के ट्रांसफर मॉड्यूल्स पर ऑनलाईन किये जायेंगे । विभागीय वेबसाइट [www.tribal.mp.gov.in](http://www.tribal.mp.gov.in) पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. आवेदक, **MPTASS** पर **TR-ID** से लॉगिन करेगा, लॉगिन करने पर **MPTASS** में आवेदक के मोबाइल नंबर/मेल आईडी पर OTP आयेगा, इस OTP को दर्ज करने पर अगली स्क्रीन पर आवेदक की पूर्व से प्रविष्ट जानकारी प्रदर्शित होगी। (सभी कर्मचारियों का **MPTASS** में मोबाइल नंबर तथा ई-मेल अद्यतन होना आवश्यक है।)
2. आवेदक अपना नियुक्ति का विषय एवं स्थानांतरण के कारण का ढाप डाउन से चयन करेगा एवं इनसे संबंधित अभिलेख अपलोड करेंगे।
3. आवेदक द्वारा जिले के अंदर स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन विभागीय जिला अधिकारी के डी.डी.ओ. लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे।
4. आवेदक द्वारा संभाग के अंदर स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन विभागीय संभागीय उपायुक्त के डी.डी.ओ. लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे।
5. उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा अंतर्संभाग स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन आयुक्त आदिवासी विकास के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा।
6. जिला अधिकारी के डी.डी.ओ., संभाग अधिकारी के डी.डी.ओ. तथा राज्य मुख्यालय के लॉगिन पर प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट प्रदर्शित होगी।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।



आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश